न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 81/2019

निर्णय दिनांक :– 22-1-2020

1. अनवर हुसैन मुगल पुत्र अब्दुल सत्तार जाति लखेरा(लखारा) निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
2. अहमद हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार जाति लखेरा(लखारा) निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री सतीस मारू अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत ख.नं. 714 तादादी 7.2590 हैक्टेयर वाके रोही राजलदेसर तहसील रतनगढ में स्थित है। प्रार्थीगण का इस भूमि में 202/1260 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीगण एवं उनके पिता का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी सं. 1 का नाम अनवर हुसैन मुगल पुत्र अब्दुल सत्तार व प्रार्थी सं. 2 का नाम अहमद हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार चला आ रहा है, परन्तु भुलवश राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सं. 2073–2076 खाता सं. नया 957 पुराना 921 में प्रार्थी सं. 1 का अनवर पुत्र सोहन हिस्सा 101/1260 जाति लखेरा(लखारा) व प्रार्थी सं. 2 का हुसैन पुत्र सोहन हिस्सा 101/1260 जाति लखेरा (लखारा) निवासी राजलदेसर की खातेदारी दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी सं. 1 अपना व अपने पिता का नाम अनवर हुसैन मुगल पुत्र अब्दुल सत्तार व प्रार्थी सं. 2 अपना व अपने पिता का नाम अहमद हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार दर्ज करवाना चाहते है। अनवर पुत्र सोहन व हुसैन पुत्र सोहन नाम के व्यक्ति प्रार्थीगण के परिवार में नही है। प्रार्थीगण व उनके पिता का नाम लिपिकीय भूल से गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कई मर्तबा नाम संशोधन हेतु निवेदन किया परन्तु संशोधन नही किया गया है। अप्रार्थी को दिनांक 15.11.2019 को पुनः निवेदन किया परन्तु वो स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नाम संशोधन हेतु तहसीलदार रतनगढ को आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का नाम ख.नं. 714 तादादी 7.2590 में अनवर पुत्र सोहन 101/1260 हि. व हुसैन पुत्र सोहन 101/1260 हि. जाति लखेरा(लखारा) नि. राजलदेसर अकिंत है जबकि अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीगण का हुसैन पुत्र सोहन का नाम अहमद हुसैन पुत्र अब्दुल सतार व अनवर पुत्र सोहन का नाम अनवर हुसैन पुत्र अब्दुल सतार अकिंत है। दोनो प्रार्थीगण का नाम आधार कार्ड, राशनकार्ड, व मतदाता पहचान पत्र में सही अकिंत है। इसलिए शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, एवं तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 का भलीभातिं अवलोकन किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी सं. 1 का नाम अन्य सभी दस्तावेजात में अनवर हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार व प्रार्थी सं. 2 का नाम अहमद हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार अकिंत है। तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 714 तादादी 7.2590 हैक्टेयर रोही ग्राम राजलदेसर तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी सं. 1 का नाम अनवर हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार व प्रार्थी सं. 2 का नाम अहमद हुसैन पुत्र अब्दुल सत्तार शुद्ध अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 15:00:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: